प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 108/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण की योजना जारी की

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2019ः भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्र) ने आज उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण की योजना जारी की है।

2. भादूविप्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना है। उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए, भादूविप्रा नियमित रूप से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम, सेमिनार और खुला मंच चर्चा आदि का आयोजन करता है, जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार जानने के लिए इसे द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित और जागरूक बनाना है। स्पष्ट रूप से, भादूविप्रा के लिए सभी उपभोक्ताओं के साथ संवाद करना संभव नहीं है, इसलिए, उपभोक्ता संगठन या एनजीओ उपभोक्ताओं और प्राधिकरण के बीच आवश्यक संबंध/इंटरफ़ेस प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं

3. भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अपने प्रयासों में उन्हें भागीदार बनाने के लिए उपभोक्ता संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण की एक योजना तैयार की है। इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 21.02.2013 को एक विनियम 'उपभोक्ता संगठनों का पंजीकरण विनियम, 2013' अधिसूचित किया है। विनियमों में अन्य के साथ–साथ पात्रता मानदंड, प्रक्रिया और उपभोक्ता संगठनों की अपेक्षित भूमिकाएं शामिल की गई हैं।

4. इच्छुक लाभ–निरेपेक्ष और गैर–राजनीतिक संगठन इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी भादूविप्रा की वेबसाइट www.tra i.gov.in / consumer-info / telecom / consu mer-groups पर उपलब्ध है और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर, 2019 है।

5. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, श्री संजीव बंजाल, सलाहकार (सीए और आईटी), भादूविप्रा से टेलीफोन 011–23210990 या ईमेल आईडीः advisorit@trai.gov.in द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।